नम्बर व तारीख अहकाम जो हुए हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावा स0 167/11

प्रेमवती पत्नि रामाखिलाड़ी जाति लोधा निवासी नगला जरैला तहसील रूपवास जिला भरतपुर
वादी

बनाम

1– मोहरसिह |
2– महाराजसिह |
3– बिजेसिह | पिसरान नेतू जाति लोधा निवासी नगला जरैला तहसील रूपवास
4–फूलसिह |जिला भरतपुर
5–सन्तो देवी पत्नि शिवसिह जाति लोधा निवासी बोदला की सराय विचपुरी रोड आगरा
6–शिवसिह पुत्र वेदरिया जाति लोधा निवासी बेादला की सराय बिचपुरी रोड आगरा
असल प्रतिवादीगण

7– राजस्थान सरकार श्रीमान तहसीलद ार सहाब रूपवास

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी0आर0मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

निर्णय दिनांक 10/5/17

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा188,53 आरटीए के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया हैं विवादित आराजी खसरा न0 278/10.10 बीघा बाके ग्राम नगला जरैला तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें वादनी व प्रतिवादीगण असल की सयुक्त खाते की आराजी है उक्त विवादित आराजी पूर्व खातेदारी एवं हिस्सेदारो के मध्य काफी दिन पूर्व मनवट के आधार पर बटबारा हो चुका है। और उसी तरह कब्जा काश्त है । वादी ने उक्त आराजी में से पूर्व खातेदार कमलसिह से हिस्सा 1/14 व रामवीर मीरा मंजूदेवी सतवेजी हिस्सा 1/105 रजिस्टउर्ड बिक्रय पत्र खरीद की हे। तथा उसी दिन से कब्जा भी दे दिया था तथा दिनांक 1–8–11 तक प्रतिवादीगण ने वादिनी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की परेशानी पैदा नही की लेकिन 1–8–11 को प्रतिवादीगण से वादिनी को ऐलानियॉ धमकी दी है कि हम तेरे कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा करेगें तथा अपना कच्चा पक्का निर्माण करेगें ।

इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23–1–17 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये । तहसीलदार रूपवास द्वारा कुरे बनवाकर प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

आज पत्रावली राजस्व अभियान 2018 कोर्ट कैम्प औडेलगददी में पेश हुई । तहसीलदार द्वारा मौका पर्चा व कुरेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की जो सामिल पत्रावली है। जो निम्न प्रकार है।

कुरा न01– मौहरसिह महाराजसिह विजय सिह फूलसिह पिसरान नेतू जाति लोधा साकि देह खातेदार खसरा न0 278/2 रकवा 4–12 बीघा

कुरा न02– शिवसिह पुत्र वेदरिया कौम लोधा सा. बोदला की सराय आगरा , पुष्पादेवी पत्नि दिनेशचन्द्र कौम लौधा सा.श्यामो तहसील सदर खातेदार (प्रतिवादी सन्तो देवी पत्नि शिवसिह के बेचान की बजह से पुष्पादेवी पत्नि दिनेश चन्द्र खातेदार है ।) खसरा न. 278/1 रकवा 4–13 बीघा(पुष्पा का रकवा 2–18 शिवसिह का 1–15)

कुरा न03– प्रेमवती पत्नि रामखिलाड़ी कौम लोधा सा.देह खातेदार खसरा न0 278/3 रकवा 1–05 बीघा

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । कुरेजात रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड का मिलान किया । कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है दावा वादिनी विरूद्व प्रतिवादीगण मुताविक कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार डिक्री किया जाता है । कुरेजात रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा । पर्चा डिक्री कायम हो ।

निर्णय राजस्व कोर्ट कैम्प औडलगददी में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखखण्ड अधिकारी
रूपवास